न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर
बेईजलास– श्री दीपांशू सांगवान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 58/2017

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
नरसिंगराम पुत्र स्व. सवाईराम जाति माली निवासी ताउसर बास शेखसर तहसील व जिला नागौर हाल निवासी 10/52 सौभाग्य नगर, आईडीपीएल कॉलोनी, बालानगर, हैदराबाद (तेलगांना)		1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, नागौर 2. तहसीलदार नागौर

उपस्थिति:–
1. श्री दिनेश हेडा वकील वादी।

वाद अधीन धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 16/8/19

1. वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अधीन धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का न्यायालय हाजा में पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया।
2. यह है कि वादी के पिता स्व. सवाईराम पुत्र चौथूराम माली निवासी ताउसर बास शेखसर तहसील नागौर के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ग्राम ताउसर की सरहद में स्थित रहती चली आयी है तथा भू प्रबंध के समय संवत 2020 में वादी के पिता की खातेदारी में खेत खसरा नम्बर 1191 रकबा 00.01 बीघा गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 1192 रकबा 01.01 बीघा गैर मुमकिन डाणी, खसरा नम्बर 1193 रकबा 05.09 बीघा, खसरा नम्बर 1194 रकबा 02.19 बीघा एवं खसरा नम्बर 1195 रकबा 06.02 बीघा कुल 15.12 बिस्वा भूमि दर्ज थी।
3. वादी के पिता की खातेदारी की उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड अर्थात खातेदारी आगामी संवत 2033–36 तक इसी प्रकार दर्ज रहती चली आयी, परन्तु संवत 2037–40 की जमाबंदी तैयार करते समय लिपिकीय त्रुटिवश उपरोक्त खसरान की भूमि में कुल रकबे 5 सही दर्ज किये गये तथा कुल रकबा भी सही दर्ज किया गया परन्तु केवल मात्र खसरा नम्बर 1192 का रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा के स्थान पर 01 बिस्वा ही दर्ज हो गया, क्योंकि उक्त प्रविष्टि किसी भी सक्षम प्राधिकारी के आदेश से प्रभावित नहीं हुई और न ही किसी नामान्तरकरण के कारण प्रभावित हुई और केवल मात्र रकबे में गलत व अवैध इन्द्राज किया गया है। जबकि पांचो खसरान का रकबा पूर्व की भांति 15 बीघा 12 बिस्वा यथावत है और सही दर्ज है।

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

4. यह है कि संवत 2037–40 के राजस्व रेकर्ड तैयार करते समय प्रतिवादीगण के द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के और बिना किसी न्यायालय के आदेश से गलत, अनुचित व अवैध प्रकार से खसरा नम्बर 1192 गैर मुमकिन ढाणी का रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा के स्थान पर 01 बिस्वा दर्ज कर लिया गया, जबकि ऐसा करने के लिए प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। वादी के पिता अनपढ, ग्रामीण व वृद्ध व्यक्ति होने से उनको इस गलती की जानकारी नहीं हो सकी और खातेदारी सवाईराम के द्वारा एक वसीयतनामां दिनांक 22.10.96 को खसरा नम्बर 1192 सहित अन्य भूमियों के बाबत वादी की पत्नी पतासी मालीं के पक्ष में निष्पादित व पंजीबद्ध करवा दिया गया। वसीयतकर्ता केपिता सवाईराम का दिनांक 21.7.2000 को देहान्त हो जानेके बाद इस भूमि की खातेदारी रेकर्ड में दर्ज अनुसार रकबे केअनुसार और इस आधार पर निष्पादित वसीयत अनुसार वादी की पत्नी पतासीदेवी के नाम दर्ज की गयी और बाद में राजस्व रेकर्ड अर्थात जमाबंदी में संवत 2037–40 के रेकर्ड में हुए गलत व अवैध इन्द्राज के कारण कुल रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा दर्ज किया गया है।
5. यह है कि वादी के पिता के द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1192 ग्राम ताउसर के मूल रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा में से 01 बिस्वा भूमि ही पतासीदेवी को वसीयत की थी तथा शेष मौके पर मौजूद रकबा 01 बीघा के बाबत कोई वसीयत, विक्रय, भेंट या अन्य कोई भी अन्तरक दिलेख अपने जीवनकाल में निष्पादित नहीं किया था। जिससे उक्त खसरे की मौके पर मौजूद अनुसार एक बीघा भूमि वादी की खातेदारी की घोषित की जाना एवं इसी अनुसार रेकर्ड में संशोधन किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। जिसके लिए उक्त वाद पेश किया गया है। वादी के पिता सवाईराम का दिनांक 21.7.2000 को देहान्त हो जाने एवं सवाईराम का एक मात्र विधिक उतराधिकारी है और अन्य कोई विधिक उतराधिकारी नहीं है जिससे उक्त खसरा संख्या 1192 के रकबे 1 बीघा भूमि वादी के नाम खातेदारी में दर्ज की जाना न्यायोचित है।
6. यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व वादी के पिता सवाईराम की खातेदारी में अन्य भूमियों केअलावा खसरा नम्बर 1192 का रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी दर्ज रहता चला आया था और मौके पर वादी के पिता के द्वारा अपने जीवनकयाल में इस गैर मुमकिन ढाणी की भूमि पर "एल" आकार में कमरें व अन्य पक्के निर्माण भी करवायेहुए होने से भू प्रबंध विभाग द्वारा खातेदारी में उक्त भूमि को गैर मुमकिन ढाणी के रूप में दर्ज किया है तथा उकत निर्माण इस भूमि पर आज दिन भी मौजूद है और जिसको वादी के द्वारा संधारण किया जाता रहा है। उक्त भूमि की खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय व पूर्व से ही इसी अनुसार चली आ रही थी और संवत 2033–36 तक की जमाबंदी में भी इसी अनुासर खातेदारी दर्ज रहती चली आयी है, परन्तु प्रतिवादीगण/राजस्व अधिकारियों की गलती व लापरवाही से गलत, अनुचित व अवैध प्रकार से बिना किसी सक्षम अधकारी के आदेश से संवत 2037–40 के राजस्व रेकर्ड तैयार करते समय उक्त खसरे का रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा के स्थान पर 01 बिस्वा ही दर्ज किया गया है, जबकि ऐसा करने के लिए प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। जिससे इस खसरे की 01 बीघा भूमि वादी के पिता की खातेदारी में घोषित किये जाने तथा

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

वादी के पिता का देहान्त होजाने से वर्तमान खातेदारी वादी के नाम घोषित किया जाना न्यायोचित है।

7. यह है कि वादी के पिता की खातेदारी की विवादित भूमि खसरा नम्बर 1192 ग्राम ताउसर का रकबा 01 बिस्वा वर्तमान में वादी की पत्नी पतासीदेवी के नाम दर्ज है इसलिए इस खसरे में प्रतिवादीगण के द्वारा कम की गयी भूमि को वादी के नाम से अलग नम्बर दर्ज किये जाने के लिए प्रतिवादीगण स्वतंत्र व अधिकारी है।
8. यह है कि वादी का उक्त वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की पारित फरमावें

1. प्रतिवादीगण के द्वारा गलत, अनुचित व अवैध प्रकार से वादी के पिता की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1192 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी ग्राम ताउसर तहसील व जिला नागौर के रकबे को कम करके 01 बिस्वा दर्ज किये जाने से उपरोक्त कम की गयी 01 बिघा भूमि की खातेदारी पुन वादी के नाम घोषित करते हुए खसरा नम्बर 1192 रकबा 01 बीघा गैर मुमकिन ढाणी या अन्य खसरा नम्बर के नाम से 01 बीघा गैर मुमकिन ढाणी की खातेदारी वादी के नाम से घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड मेंवादी के नाम इस आशय की खातेदारी दर्ज करने के लिए प्रतिवादीगण को आदेशित किया जावें।

2. यह है कि वादी के खातेदारी घोषणा के संबंध में राजस्व रेकर्ड में आवश्यक संशोधन करने के लिए प्रतिवादीगण को आदेशित किया जावें।

3. यह है कि अन्य अनुतोष, जो भी लाभार्थ वादी हो, प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

9. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण के सम्मन तारीख पेशी दिनां 6.3.18 का तामिलसुदा प्राप्त हुआ फिर भी कोई उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 6.3.18 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
10. वादी ने वाद के समर्थन में वादी नरसिंगराम के बयान करवाये तथा दस्तावेजी सबूत में प्रदर्श 1 नकल खतौनी सम्वत 2015 से 2022 नकल खतौनी प्रदर्श 2 सम्वत 2037 से 2040, नकल खतौनी मौजा ताउसर सम्वत 2066 से 2069 प्रदर्श 3, प्रदर्श 4 विधिक नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी, प्रदर्श 5 व 6 रजिस्टर्ड रसीदात, प्रदर्श 7 व 8 प्राप्ति स्वीकृति रजिस्टर्ड एडी पेश किये।
11. बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया कि वादी के पिता स्व. सवाईराम जाति माली निवासी ताउसर बास शेखसर के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि मौजा ताउसर के खसरा नम्बर 1191 रकबा 00.01 बीघा गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 1192 रकबा 01.01 बीघा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 1193 रकबा 05.09 बीघा, खसरा नम्बर 1194 रकबा 02.19 बीघा एवं खसरा नम्बर 1195 रकबा 06.02 बीघा कुल 15.12 बिस्वा भूमि वादी के पिता की उपरोक्त खातेदारी की भूमियों में खासरा नम्बर 1192 का रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी के स्थान पर 1 बिस्वा ही दर्ज कर दी उक्त प्रविष्टि किसी भी सक्षम प्राधिकारी अधिकारी के आदेश के बिना ही सेटलमेन्ट अधिकारियों ने दर्ज कर दी थी। इस प्रकार सम्वत 2037 से 2040 का रेकर्ड तैयार करते समय प्रतिवादीगण के द्वारा बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के और बिना किसी न्यायालय के

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

आदेश से खसरा नम्बर 1192 गैर मुमकिन ढाणी का रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा के स्थान पर 1 बिस्वा ही गलत दर्ज कर दिया। जबकि ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं था।

12. पत्रावली में संलग्न नकल खतौनी प्रदर्श 1 सम्वत 2020 में खसरा नम्बर 1192 का रकबा 01.01 बीघा गैर मुमकिन ढाणी सवाई वल्द चौथू माली वादी नरसिंगराम के पिता की खातेदारी में दर्ज सावित है। नकल खतौनी मौजा ताउसर प्रदर्श 2 सम्वत 2037 से 2040 में खसरा नम्बर 1192 का रकबा 01 बिस्वा दर्ज है। इसप्रकार खसरा नम्बर 1192 का रकबा 01.01 बिघा गैर मुकिन ढाणी को भू प्रबंध अधिकारियों ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के बिना रकबा कम करने का कोई अधिकार नहीं था। वादी ने भी अपने बयान में वादपत्र के तथ्यों का समर्थन किया है। वादग्रस्त खसरा नम्बर 1191 रकबा 00.01 बीघा गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 1192 रकबा 01.01 बीघा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 1193 रकबा 05.09 बीघा, खसरा नम्बर 1194 रकबा 02.19 बीघा एवं खसरा नम्बर 1195 रकबा 06.02 बीघा कुल 15.12 बिस्वा भूमि वादी के पिता स्व. सवाईराम के द्वारा एक वसीयतनामा दिनांक 22.10.96 को वादी की पत्नि पतासीदेवी पत्नि नरसिंगराम माली के पक्ष में निष्पादित कर पंजीबद्ध करवा दिया। वादी के पिता सवाईराम का दिनांक 30.7.2000 को देहान्त हो जाने से उक्त भूमि की खातेदारी वसीयत के अनुसार वादी की पत्नि पतासी देवी के नाम दर्ज हो गई। वादी के पिता सवाई राम के द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1192 ग्राम ताउसर के मूल रकबा 01.01 बीस्वा में से 01 बिस्वा भूमि ही पतासी देवी को वसीयत की थी तथा शेष मौके पर मौजूद रकबा 1 बीघा के बाबत कोई वसीयत विक्रय भेंट या अन्य विलेख अपने जीवनकाल में निष्पादित नहीं किया था। जिससे खसरा नम्बर 1192 की 1 बीघा भूमि वादी की खातेदारी में घोषित करवाने हेतु वाद पेश किया है।

13. उपरोक्त विवेचनानुसार खसरा नम्बर 1192 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी मौजा ताउसर का सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना 01 बीघा रकबा कम करने का कोई अधिकार नहीं था। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पिता की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1192 का रकबा 1 बीघा गैर मुमकिन ढाणी की खातेदारी वादी नरसिंगराम के नाम खातेदारी में घोषित की जाती है।

14. इसी अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना करने हेतु तहसीलदार नागौर को लिखा जावे।

सहायक कलेक्टर
(SDO), नागौर

आदेश आज दिनांक 16/8/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
नागौर
(SDO), नागौर

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत.सहायक कलक्टर (मु.) मुकाम नागौर बइजलास दीपांशू सांगवार, आर. ए. एस.

वादी
नरसिंगराम पुत्र स्व. सवाईराम जाति माली निवासी ताउसर बास शेखसर तहसील व जिला नागौर हाल निवासी 10/52 सौभाग्य नगर, आईडीपीएल कॉलोनी, बालानगर, हैदराबाद (तेलगांना)

बनाम

प्रतिवादीगण
1 राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर नागौर
2 तहसीलदार, नागौर

मुकदमा नं 58 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू———— बहाजरी ——— मिनजानिब मुदइ ———मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि –

वादी के पिता की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1392 का रकबा 1 बीघा गैर मुमकिन ढाणी की खातेदारी वादी नरसिंगराम के नाम खातेदारी में घोषित की जाती है।

बीज ——— मुबलिग. ——— बाबत् ——— खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह ——— फीसदी सालाना आज की तारीक ब तारीक वसुलवाबी तक. ——— को अदा करें।

बसब्त मेरें दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16/8/17 को जारी की गई।

(दीपांशू सांगवार)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	–	–	स्टाम्प वकालात नाम	–	–
स्टाम्प वकालात नाम	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महनताना वकील पर	–	–
महनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	–	–
मुतफर्रिक	–	–			
मीजान	–	–	मीजान	–	–

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो करीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो नहीं तय करना चाहिए।

(दीपांशू सांगवार)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर